कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

E.S.I.C.

सत्यमेव जयते

मुख्यालय/Headquarters
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. रोड, नई दिल्ली
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Road, New Delhi

फाइल सं : टी-11/12/16/3961/2022- विधि

विज्ञापन

2026-28 अवधि के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, दिल्ली एवं दिल्ली के विभिन्न अन्य न्यायालयों के समक्ष कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिवक्ताओं को नामिकायन में शामिल करने हेतु आवेदन आमंत्रित करने की सूचना।

1. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (क.रा.बी.निगम), जो भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय है, दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय से संबंधित विधि मामलों में विभिन्न न्यायालयों के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व करने हेतु अधिवक्ताओं को नामिकायन में शामिल करना चाहता है। भारतीय विधिज्ञ परिषद्/राज्य विधिज्ञ परिषद् में पंजीकृत राज्य कार्यरत अधिवक्ता पैनल में सम्मिलित किए जाने के लिए पात्र हैं। योग्यता, अनुभव, शुल्क अनुसूची, अन्य नियम एवं शर्तें तथा आवेदन का प्रारूप जिसमें आवेदन करना है, क.रा.बी.निगम की वेबसाइट www.esic.gov.in>recruitment पर उपलब्ध हैं।
2. क.रा.बी.निगम मुख्यालय की मौजूदा नामिकायन (पैनल) में शामिल अधिवक्ताओं के नाम इस सूचना के अनुसार नई नामिकायन को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात नामिकायन से हटा दिए जाएंगे। अतः इस सूचना के अंतर्गत उन्हें नए सिरे से आवेदन करना होगा।
3. पात्र अधिवक्ता जो क.रा.बी.निगम मुख्यालय के मौजूदा नामिकायन में शामिल नहीं हैं, वे संलग्नक-'क' में दिए गए प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
4. क.रा.बी.निगम मुख्यालय की मौजूदा नामिकायन में शामिल अधिवक्ताओं को संलग्नक-'ख' में दिए गए प्रारूप में नए सिरे से आवेदन करना होगा। अतः उन्हें इस सूचना के अनुसार नए सिरे से आवेदन करना आवश्यक है।
5. आवेदकों द्वारा सभी सहायक दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र को निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए, जिस पर "माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय/माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, दिल्ली/राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम/दिल्ली के विभिन्न अन्य न्यायालयों के लिए अधिवक्ताओं की नामिकायन में शामिल होने के लिए आवेदन" अंकित होना चाहिए।

बीमा आयुक्त (विधि) कमर्चारी राज्य बीमा निगम पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002 टेलीफोन नं .011-23235778	Insurance Commissioner (Legal) Employees' State Insurance Corporation Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg New Delhi-110002 Telephone No. -011-23235778

6. क.रा.बी.निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली में निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 12 जनवरी 2026 शाम 5 बजे तक है।
7. क.रा.बी.निगम के साथ नामिकायन (सूचीबद्ध) होने के लिए आवेदन करने से किसी भी प्रकार का कोई अधिकार/आश्वासन नहीं मिलता है कि उन्हें क.रा.बी.निगम पैनल में सूचीबद्ध किया जाएगा। चयनित अधिवक्ताओं की सूची क.रा.बी.निगम की वेबसाइट www.esic.gov.in>recruitment पर उपलब्ध कराई जाएगी। क.रा.बी.निगम द्वारा पैनल में शामिल होने की पुष्टि करने वाले अधिवक्ताओं को पत्र अलग से जारी किए जाएंगे।
8. क.रा.बी.निगम को बिना कोई कारण बताए नामिकायन में शामिल होने के लिए प्राप्त किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने या अपने विवेक पर नामिकायन में शामिल होने की पूरी प्रक्रिया को स्थगित या रद्द करने का अधिकार होगा।

-हस्ताक्षर/-
उप निदेशक (विधि)

संलग्नक-'क'

नए अधिवक्ता हेतु आवेदन का प्रारूप

आवेदन सं (क.रा.बी.निगम द्वारा भरा जाएगा)

माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान पीठ), दिल्ली एवं दिल्ली के विभिन्न अन्य न्यायालयों में क.रा.बी.निगम के लिए अधिवक्ताओं के नामिकायन के लिए आवेदन पत्र (2026-28 अवधि के लिए सभी आवेदक अधिवक्ताओं द्वारा भरा जाना है)

सेवा में,

बीमा आयुक्त (विधि)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन,
सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
टेलीफोन नं.: 011-23235778

1.

व्यक्तिगत विवरण (बड़े अक्षरों में)		
1.	उस न्यायालय का नाम जिसके लिए नामिकायन में शामिल होने हेतु आवेदन किया गया है (उच्चतम न्यायालय/दिल्ली उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, (प्रधानपीठ)दिल्ली/राष्ट्रीय न्यायालय संरचना (एनसीएफ) एवं न्यायाधिकरण) नोट : एक से अधिक न्यायालयों में आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को अलग-अलग आवेदन करना होगा।	
2.	पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)	
3.	पिता/पति का नाम	

4.	जन्मतिथि	
5.	आयु (आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को)	
6.	राष्ट्रीयता	
7.	वैवाहिक स्थिति	
8.	पिन एवं फ़ोन नंबर सहित पत्राचार हेतु पता	
9.	पिन एवं फ़ोन नंबर सहित स्थायी पता	
10.	कार्यालय/चैंबर का पता (यदि कोई हो), पिन कोड एवं दूरभाष सहित	
11.	क. नामांकन संख्या (कृपया प्रति संलग्न करें)	
	ख. एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड पंजीकरण संख्या एवं पंजीकरण की तिथि (कृपया प्रति संलग्न करें)	
12.	मोबाइल नंबर	
13.	ईमेल आईडी :	
14.	क्या आप किसी क.रा.बी.निगम कर्मचारी से संबंधित है?	

2. शैक्षणिक (योग्यता) का विवरण (मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा से प्रारंभ) :

उत्तीर्ण की गई परीक्षाएँ	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	संस्था का नाम	श्रेणी या विभाग	अंक प्रतिशत	विषय	उत्तीर्ण की वर्ष
10वीं/मैट्रिक परीक्षा						
12वीं/इंटरमीडिएट						
स्नातक						
एलएलबी/विधि स्नातक डिग्री						
स्नातकोत्तर						
अन्य व्यावसायिक योग्यताएँ						

3. क्या आवेदक वर्तमान में किसी अन्य सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक निकाय/स्वायत्त निकाय आदि के पैनल में है और यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित विवरण दें (नामिकायन में शामिल होने के कार्यालय आदेश/पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न की जा सकती है) :

विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक निकाय/स्वायत्त निकाय का नाम	कब से	कब तक
क.		
ख.		
ग.		
घ.		

4. क्या आवेदक ने किसी न्यायालय/न्यायाधीश से संबद्ध विधि शोधकर्ता (एलआर) के रूप में कार्य किया है? यदि हां, तो विवरण और सहायक दस्तावेज दें :

न्यायालय/न्यायाधीश का नाम	अनुसंधान की कालावधि	सहायक दस्तावेज
1.		
2.		

5. यदि एक या अधिक अधिवक्ता आवेदक के कनिष्ठ अधिवक्ता के रूप में संबद्ध हैं, तो उनका विवरण नीचे दिया जाए :

क्र.सं.	अधिवक्ता का नाम	नामांकन संख्या सहित तारीख

6. आवेदक के पास उपलब्ध संरचनात्मक सुविधाएं नीचे दी जाएं (यदि उपलब्ध हैं तो कृपया सही (√) का निशान लगाएं) :

कार्यालय स्थान (पता, क्षेत्र, स्थान, स्वयं का/पट्टे पर लिया गया)	कार्यालय लिपिक	आशुलिपिक/टंकक	सहायक कर्मचारी

7. विभिन्न न्यायिक मंचों पर निपटाए गए मामलों की संख्या (पिछले पांच वर्षों में) :

न्यायालय का नाम	वर्ष	निपटाए गए/स्वीकृत मामलों की कुल संख्या	पक्ष में निर्णयित मामलों की	विपक्ष में निर्णयित मामलों की	वापस भेजे गए मामलों की संख्या	लंबित मामलों की संख्या

			संख्या	संख्या		
उच्चतम न्यायालय						
उच्च न्यायालय						
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण						
अन्य (कृपया विवरण दें)						

क) क्या आवेदक किसी महत्वपूर्ण या मूल मामले में (वकालतनामा के माध्यम से) अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो मामले का विवरण एवं उस निर्णय की प्रति जिसमें उनका नाम किसी एक पक्ष के अधिवक्ता के रूप में दर्ज है (प्रमाण के रूप में आदेश/निर्णय की प्रति संलग्न करें) :

न्यायालय का नाम	मामले का शीर्षक	निर्णय/संक्षिप्त विवरण की प्रकृति

ख) कृपया बैंक खाते एवं पैन कार्ड का विवरण नीचे दें :

बैंक खाते का विवरण (बैंक, खाता संख्या, शाखा का पता एवं आईएफएससी कोड)	पैन नंबर	आधार नंबर

ग) पिछले दो वर्षों की वार्षिक आय :

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	वार्षिक आय (रु.)	विधिक अभ्यास से व्यावसायिक आय (रु.)

घ) क्या बार परिषद की अनुशासनात्मक समिति के समक्ष कथित व्यावसायिक कदाचार हेतु कोई कार्यवाही शुरू की गई है या चल रही है?

क्र.सं.	आरोपों एवं कार्यवाही का विवरण	अनुशासनिक समिति द्वारा दिया गया निर्णय

ङ) क्या आवेदक अधिवक्ता के विरुद्ध कभी कोई आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है अथवा प्राथमिकी दर्ज की गई है अथवा कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू हुई है :

क्र.सं.	अभिकथन तथा कार्यवाही का विवरण	न्यायालय का निर्णय (निष्कर्ष)

च) उम्मीदवारी को प्रबल करने वाली कोई अन्य व्यावसायिक अर्हताएँ (योग्यता(एँ), जिसमें शामिल हैं

छ) व्यावसायिक सोसाइटी की सदस्यता, पुरस्कार और सम्मान आदि की सूचना नीचे दिए गए बॉक्स में दिए जाएं। (दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किए जाएं) :

ज) संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़ :

I. विधि डिग्री तथा अन्य अर्हताओं की प्रति;
II. विधिज्ञ परिषद द्वारा जारी पंजीकरण की प्रति;
III. विधिज्ञ संघ द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रति;
IV. पहचान साक्ष्य (प्रमाण) की प्रति;
V. एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पंजीकरण की प्रति;
VI. 10 निर्णयों की प्रति, जिनमें अधिवक्ता प्लीडर के रूप में प्रस्तुत हुए हैं;
VII. अन्य प्राधिकारी/संस्था द्वारा अधिवक्ता के पक्ष में जारी नामिकायन पत्र की प्रति;
VIII. अनुभव, पृष्ठभूमि, शिक्षा, मुवक्किल की सूची तथा निपटाए गए मामलों (प्रकरणों) की प्रकृति;
IX. 02 वर्तमान के रंगीन पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ
X. विगत दो वित्तीय वर्षों की आयकर विवरण की प्रति।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
E.S.I.C.

मुख्यालय/Headquarters
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. रोड, नई दिल्ली
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Road, New Delhi

वचन पत्र

i. मैं एतद्द्वारा पुष्टि और घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन और संलग्न प्रमाण पत्र में दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण है।

ii. मैंने कोई भी प्रासंगिक जानकारी नहीं छिपाई है। मैं पूरी तरह से भिज्ञ हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी असत्य/गलत पाई जाती है, तो नामिकायन (पैनल) में शामिल होने के लिए मेरी उम्मीदवारी रद्द मानी जाएगी और मामला समुचित प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

iii. मैं क.रा.बी.निगम के मामलों के संबंध में आवश्यकतानुसार पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने का वचन देता/देती हूँ।

iv. मैं नियुक्ति से संबंधित निबंधन एवं शर्तों का पालन करने का वचन देता/देती हूँ।

v. मैं क.रा.बी.निगम द्वारा सभी प्रकरण फाइलें और अभिलेख आवश्यकतानुसार क.रा.बी.निगम को लौटाने का वचन देता/देती हूँ।

vi. मैं क.रा.बी.निगम द्वारा अधिसूचित शुल्क अनुसूची से सहमत हूँ।

अधिवक्ता के हस्ताक्षर :

नामांकन संख्या :

एओआर पंजीकरण संख्या :

मोबाइल नंबर :

स्थान :

दिनांक :

संलग्नक-'ख'

क.रा.बी.निगम, मुख्यालय के मौजूदा नामिकायन (सूचीबद्ध) अधिवक्ताओं के लिए आवेदन प्रपत्र

आवेदन संख्या **(क.रा.बी.निगम द्वारा भरा जाएगा)**

क.रा.बी.निगम में उच्चतम न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (पीबी) दिल्ली, एनसीएफ तथा दिल्ली स्थित विभिन्न अन्य न्यायालयों के लिए क.रा.बी.निगम मुख्यालय के मौजूदा पैनल अधिवक्ताओं के नामिकायन हेतु आवेदन पत्र (2026-28 अवधि के लिए सभी आवेदक अधिवक्ताओं द्वारा भरा जाना है)

सेवा में,

बीमा आयुक्त (विधि)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, सी.आइ.जी. मार्ग
नई दिल्ली-110002

सूचना पत्रक (यह पत्रक क.रा.बी.निगम में उच्चतम न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, दिल्ली, एनसीएफ तथा दिल्ली स्थित विभिन्न अन्य न्यायालयों के मौजूदा पैनल अधिवक्ताओं द्वारा भरा जाना है, जो वर्ष 2026-28 के लिए नए नामिकायन में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहे हैं)

1. **उस न्यायालय का नाम जिसके लिए नामिकायन में शामिल होने के लिए आवेदन किया गया है (माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय/माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पीबी, दिल्ली/एनसीएफ तथा दिल्ली स्थित विभिन्न अन्य न्यायालय एवं न्यायाधिकरण)। नोट : एक से अधिक न्यायालयों के लिए आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को अलग-अलग आवेदन करना होगा।**

2. **पैनल (सूचीबद्ध) अधिवक्ता का नाम :**

E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

सत्यमेव जयते

मुख्यालय/Headquarters
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. रोड, नई दिल्ली
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Road, New Delhi

3. एओआर पंजीकरण संख्या और पंजीकरण तिथि (कृपया प्रति संलग्न करें)

4. माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय/अन्य न्यायालयों के लिए नामिकायन (सूचीबद्ध)

5. पैनल में रहने की अवधि :

6. न्यायालय जिसके लिए आवेदन किया गया है :

7. निपटाए गए मामलों की संख्या (क.रा.बी.निगम) (विगत 02 वर्ष) :

न्यायालय का नाम	वर्ष	सौंपे गए मामलों की संख्या (आदि शेष)	आवंटित नए मामलों की संख्या	जीते गए मुकदमों की संख्या	हारे गए मामलों की संख्या	वापस भेजे गए मामलों की संख्या	लंबित मामलों की संख्या (अतः शेष) (दिनांक ……… के अनुसार)
उच्चतम न्यायालय							
उच्च न्यायालय							
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण							
अन्य(कृपया विवरण दें)							

8. विगत 02 वर्षों की वार्षिक आय :-

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	वार्षिक आय
1		

2		

9. क्या विधिज्ञ परिषद की अनुशासनात्मक समिति के समक्ष अभिकथित व्यावसायिक कदाचार के लिए कोई कार्यवाही प्रारम्भ की गई है अथवा चल रही है?

क्र.सं.	अभिकथन तथा कार्यवाही का विवरण	अनुशासनात्मक समिति के निर्णय

10. क्या आवेदक अधिवक्ता के विरुद्ध कभी कोई आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है या कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है :

क्र.सं.	अभिकथन तथा कार्यवाही का विवरण	न्यायालय के निर्णय

11. कर्मचारी राज्य बीमा निगम में रिश्तेदारों/पति/पत्नी का नाम और पदनाम :

क्र.सं.	क.रा.बी.निगम में संबंधित रिश्तेदार का नाम/उसकी तैनाती का स्थान और पदनाम	संबंध

12. अधिवक्ता को सौंपे गए न्यायालय के पुराने लंबित मामलों का विवरण :

13. विशेष उपलब्धियां, यदि कोई हों (यदि आवश्यक हो तो, कृपया पृष्ठ जोड़ें) :

14. आवेदक अधिवक्ता की अभ्युक्तियां, यदि कोई हों :

15. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़ :-

I. विधि डिग्री और अन्य अर्हताओं की प्रतिलिपि;
II. विधिज्ञ परिषद् द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र;
III. विधिज्ञ संघ द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रतिलिपि;
IV. पहचान प्रमाण की प्रतिलिपि;
V. अभिलेख अधिवक्ता पंजीकरण की प्रतिलिपि;
VI. उन 10 निर्णयों की प्रतिलिपियाँ जिनमें अधिवक्ता के रूप में पेश हुए हैं;
VII. अन्य प्राधिकारियों/इकाइयों द्वारा अधिवक्ता के पक्ष में जारी किए गए नामिकायनगत होने के पत्रों की प्रतियां;
VIII. अनुभव, पृष्ठभूमि, शिक्षा, मुवक्किलों की सूची और निपटाए गए प्रकरणों की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण सहित सार-वृत्त;
IX. पासपोर्ट आकार की दो हालिया रंगीन फोटोग्राफ;
X. पिछले दो वित्त वर्षों की आयकर विवरणियों की प्रतिलिपि।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

E.S.I.C.

मुख्यालय/Headquarters
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. रोड, नई दिल्ली
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Road, New Delhi

वचनबंध

1. मैं एतद्द्वारा पुष्टि और घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन और संलग्न प्रमाणपत्र में दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण है। मैंने कोई भी प्रासंगिक सूचना नहीं छिपाई है। मैं पूरी तरह से अवगत हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी असत्य/गलत पाई जाती है, तो पैनल में शामिल होने के लिए मेरी उम्मीदवारी रद्द मानी जाएगी और मामला उचित प्राधिकारी को भेजा जाएगा।
2. मैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मामलों के संबंध में आवश्यकतानुसार पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने का वचन देता/देती हूँ।
3. मैं नियुक्ति की निबंधन और शर्तों का पालन करने का वचन देता/देती हूँ।
4. मैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आवश्यकतानुसार सभी प्रकरण संचिकाएं और अभिलेख कर्मचारी राज्य बीमा निगम को लौटाने का वचन देता/देती हूँ।
5. मैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अधिसूचित शुल्क अनुसूची से सहमत हूँ।

अधिवक्ता के हस्ताक्षर :

नामांकन संख्या :

अभिलेख अधिवक्ता पंजीकरण संख्या :

मोबाइल:

स्थान :

दिनांक :

E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

सत्यमेव जयते

मुख्यालय/Headquarters
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. रोड, नई दिल्ली
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Road, New Delhi

क.रा.बी.निगम मुख्यालय के लिए अधिवक्ताओं के नामिकायन में शामिल होने हेतु दिशानिर्देश तथा नियम एवं शर्तें

क.रा.बी.निगम अपने अधिवक्ताओं के पैनल के माध्यम से अपने मामलों का बचाव करता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि क.रा.बी.निगम के विधिक मामलों का उचित बचाव किया जाए। मामलों का उचित बचाव करने हेतु, अच्छे पैनल वाले अधिवक्ताओं का होना आवश्यक है, जो न्यायालयों के समक्ष मामलों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम हों। उच्चतम न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ, दिल्ली, राष्ट्रीय न्यायालय संरचना (एनसीएफ) एवं विभिन्न अन्य अदालती मामलों के लिए अधिवक्ताओं का नामिकायन क.रा.बी.निगम मुख्यालय द्वारा, क.रा.बी.निगम के महानिदेशक की स्वीकृति से नियुक्त किया जाता है।

अधिवक्ताओं को नामिकायन में शामिल करने की नीति, नामिकायन में शामिल करने की विधियाँ एवं प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु, निम्नलिखित बिंदु हैं :

1. सामान्य शर्तें

i. विभिन्न विधिक मंचों के समक्ष मामलों का प्रभावी ढंग से बचाव करने हेतु, क.रा.बी.निगम के पास अपने स्वयं के नामिकायन अधिवक्ताओं का एक समूह है। क.रा.बी.निगम द्वारा उन्हें देय शुल्कों की अनुसूची निर्धारित की जाएगी।

ii. नामिकायन में शामिल होने से केवल विधिक कार्य हेतु विचार किए जाने का अधिकार प्राप्त होगा, यदि कोई कार्य है तो एवं यह क.रा.बी.निगम को अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय पैनल में शामिल किसी भी अधिवक्ता को कार्य प्रदान करने या देने के लिए बाध्य नहीं करेगा।

iii. मामलों का आवंटन क.रा.बी.निगम द्वारा अधिकृत अधिकारियों के पूर्ण विवेकाधिकार पर होगा।

iv. नामिकायन में शामिल होने की अवधि समाप्त होने या नवीनीकरण न होने की स्थिति में, अधिवक्ता को क.रा.बी.निगम द्वारा आवंटित मामले एवं उससे संबंधित सभी अन्य दस्तावेज/अभिलेख, यदि आवश्यक हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, वापस करने होंगे। किसी भी अधिवक्ता को अनुबंध की अवधि समाप्त होने या रद्द होने पर क.रा.बी.निगम का प्रतिनिधित्व करने या कोई भी गतिविधि करने का अधिकार नहीं होगा।

v. समान मामलों/विधिक बिंदुओं से जुड़े या आपस में जुड़े या समूहीकृत मामलों को यथासंभव एक ही अधिवक्ता को सौंपा जा सकता है, साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि मामलों का केंद्रीकरण एक अधिवक्ता/कुछ अधिवक्ताओं के पास न हो।

vi. नामिकायन में शामिल अधिवक्ता मामलों को किसी और को नहीं सौंपेंगे और वे स्वयं ही उनका निपटान करेंगे। यदि आवश्यक हो, तो उन्हें मामले में शामिल निर्दिष्ट वरिष्ठ अधिवक्ताओं (यदि कोई है) के साथ-साथ क.रा.बी.निगम के अधिकारियों के साथ समन्वय एवं कार्य करना पड़ सकता है।

vii. नामिकायन में शामिल अधिवक्ताओं को अपने पत्रशीर्ष, साईन बोर्ड, नाम पट्ट, पेम्पलेट आदि पर क.रा.बी.निगम का नाम, लोगो, प्रतीक आदि का उपयोग नहीं करेंगे, जैसे कि
'क.रा.बी.निगम के विधिक सलाहकार', 'क.रा.बी.निगम के अधिवक्ता' आदि। कोई भी नामिकायन अधिवक्ता किसी भी न्यायालय या मंच के समक्ष स्वयं को क.रा.बी.निगम के स्थायी अधिवक्ता के रूप में प्रस्तुत नहीं करेगा, जब तक क.रा.बी.निगम द्वारा ऐसा विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

viii. अधिवक्ता क.रा.बी.निगम के संबंधित मामलों में कुशल और प्रभावी पेशेवर सेवाएं सुनिश्चित करेगा और उचित ध्यान देगा तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा निर्धारित नियमों, जिनमें आचार संहिता और नैतिकता संबंधी नियम शामिल हैं, का हर समय अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

ix. अधिवक्ता, क.रा.बी.निगम की ओर से किसी भी मामले की पैरवी करते समय, क.रा.बी.निगम के निर्देशों के बिना कार्य नहीं करेगा और प्रत्येक सुनवाई की कार्यवाही की सूचना क.रा.बी.निगम को मेल द्वारा देगा तथा प्रत्येक सुनवाई के आदेशों की प्रति प्रस्तुत करेगा, जिसके बिना क.रा.बी.निगम द्वारा भुगतान बिलों का निपटान नहीं किया जा सकेगा।

x. अधिवक्ता किसी भी स्थगन का अनुरोध तब तक नहीं करेगा जब तक कि क.रा.बी.निगम वैध अथवा ठोस कारणों से इसे आवश्यक न समझे। किसी भी परिस्थिति में, क.रा.बी.निगम द्वारा सौंपे गए मामले न्यायालय के समक्ष अनुपलब्ध नहीं रहने चाहिए। ऐसा नामिकायन में शामिल होने की शर्तों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और नामिकायन से निष्कासन का कारण बन सकता है।

xi. नामिकायन में शामिल प्रत्येक अधिवक्ता के कार्य-निष्पादन की समय-समय पर आवधिक समीक्षा की जाएगी, जिसका प्रारूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में निर्धारित किया जाएगा।

xii. नामिकायन में शामिल अधिवक्ता क.रा.बी.निगम की ओर से संभाले गए मामलों या अन्य मामलों की पूरी गोपनीयता बनाए रखेंगे और किसी भी तीसरे पक्ष या मीडिया को कोई जानकारी नहीं देंगे। उपर्युक्त शर्त का उल्लंघन करने वाले अधिवक्ता को पैनल से हटा दिया जाएगा।

xiii. उचित औचित्य या कारणों के बिना क.रा.बी.निगम की ओर से किसी मामले को लेने से मना करने पर पैनल में शामिल अधिवक्ता की नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

xiv. क.रा.बी.निगम किसी भी समय नियुक्ति निबंधन एवं शर्तों में आशोधन या ढील देने का अधिकार के सुरक्षित रखता है। साथ ही अधिवक्ता द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित करने का भी अधिकार है। अधिवक्ता समय-समय पर क.रा.बी.निगम द्वारा निर्धारित नामिकायन में शामिल होने के लिए अपेक्षित निबंधन एवं शर्तों को पूर्ण रूप से स्वीकार करेगा।

xv. अधिवक्ता का उस स्थान पर कार्यालय होना चाहिए जहां नामिकायन में शामिल होने के लिए आवेदन किया जा रहा है। अधिवक्ता के पास कार्यालय होना चाहिए जहां आसानी से जाया जा सके, कक्ष, पुस्तकालय, मानव संसाधन आदि के रूप में पर्याप्त बुनियादी अवसंरचना होनी चाहिए, जिसे हर समय ध्यान में रखा जाएगा।

xvi. अधिवक्ता के पास उत्कृष्ट संप्रेषण कौशल होना चाहिए।

xvii. अधिवक्ताओं के आवेदनों की सूची क.रा.बी.निगम द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार तैयार की जाएगी। चयनित अधिवक्ताओं को नामिकायन में शामिल करने की अंतिम प्रक्रिया से पूर्व आगे बातचीत के लिए बुलाया जा सकता है। ऐसी बातचीत में शामिल होने के लिए कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता(यात्रा भत्ता) देय नहीं होगा।

xviii. क.रा.बी.निगम बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का, या आवश्यकता पड़ने पर नामिकायन में शामिल करने की पूरी प्रक्रिया को स्थगित या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

xix. यदि आवश्यक हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित समझा जाए, तो मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, क.रा.बी.निगम की ओर से मुकदमों की पैरवी करने के लिए भारत के महान्यायवादी/सह-महान्यायवादी/अतिरिक्त सह-महान्यायवादी /महाअधिवक्ता/निर्दिष्ट वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जा सकता है। इन मामलों में सक्षम प्राधिकारी महानिदेशक क.रा.बी.निगम अथवा महानिदेशक क.रा.बी.निगम द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी होगा।

xx. यदि मुकदमेबाजी के लिए बाहर के किसी अधिवक्ता की नियुक्ति क.रा.बी.निगम के हित की सर्वोत्तम रक्षा या उसे बढ़ावा देने के लिए वांछनीय समझी जाती है तो ऐसे अधिवक्ता की

नियुक्ति के कारणों को दर्ज करने और महानिदेशक, क.रा.बी.निगम की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही की जाएगी। क.रा.बी.निगम मुख्यालय के पैनल से बाहर के किसी अधिवक्ता को क.रा.बी.निगम द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क पर नियुक्त किया जा सकता है।

2. पैनल हेतु पात्रता निकष (क्राइटेरिया)

i. अधिवक्ता के पास भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।

ii. अधिवक्ता का भारतीय विधिज्ञ परिषद/राज्य विधिज्ञ परिषद के साथ अधिवक्ता के रूप में नामांकित/पंजीकृत होना आवश्यक है।

iii. उच्चतम न्यायालय में पैनल में शामिल होने के लिए, अधिवक्ता के अभिलेख में पंजीकृत अधिवक्ता होना चाहिए।

iv. उच्चतम न्यायालय में पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाले अधिवक्ताओं के पास दिनांक 12.01.2026 को उच्चतम न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का व्यवसाय/न्यायालयी अभ्यास अनुभव होना आवश्यक है।

v. उच्च न्यायालय में पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाले अधिवक्ताओं के पास दिनांक 12.01.2026 को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का व्यवसाय/न्यायालयी अभ्यास अनुभव होना आवश्यक है।

vi. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और विभिन्न अन्य न्यायालयों/अधिकरणों में पैनल के लिए आवेदन करने वाले अधिवक्ताओं के पास उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और विभिन्न अन्य न्यायालयों/अधिकरणों में न्यूनतम, दिनांक 12.01.2026 को, 10 वर्ष का पेशेवर/न्यायालय अभ्यास अनुभव होना आवश्यक है।

vii. तथापि, महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अनुभव संबंधी आवश्यकताओं में शिथिलता प्रदान कर सकते हैं या कोई अन्य अतिरिक्त अर्हता या शर्त निर्धारित कर सकते हैं, जिसे वे उचित समझें।

3. पैनल का कार्यकाल

निरंतता और स्थिरता के लिए, समान्यतः पैनल का गठन 3 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। तथापि, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व पैनल को भंग किया जा सकता है। नए पैनल के गठन की प्रक्रिया मौजूदा पैनल का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व

आरंभ कर दी जाएगी। यदि किसी कारणवश मौजूदा पैनल का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व किसी नए पैनल का गठन किया जाता है, तो मौजूदा पैनल तब तक कार्य करता रहेगा जब तक कि नए पैनल का गठन नहीं हो जाता, ताकि चल रहे मुकदमों पर कोई प्रभाव न पड़े। मौजूदा पैनल का कार्यकाल नए पैनल के गठन की प्रक्रिया पूरी होने तक बढ़ाया जा सकता है और मौजूदा पैनल में शामिल अधिवक्ताओं के लिए विस्तृत अवधि के दौरान पेशेवर विधिक सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य होगा।

4. पैनल का आकार

i. अधिवक्ताओं की प्रभावी और गहन निगरानी के लिए पैनल के आकार की सीमा निर्धारित करना आवश्यक है। इसके अलावा, प्रति अधिवक्ता मामलों की संख्या पर भी सीमा निर्धारित करना आवश्यक है ताकि सभी अधिवक्ताओं को समानुपातिक कार्य मिल सके। तथापि, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिवक्ताओं के लिए, बीमा आयुक्त (विधि), मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा छूट दी जा सकती है।

ii. पैनल का आकार इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा कि कार्यभार के अनुसार प्रत्येक अधिवक्ता को लगभग 20-30 मामले आबंटित किए जाएं। तथापि, उचित कारणों से और अधिवक्ता के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर, बीमा आयुक्त (विधि), मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अनुमोदन से अतिरिक्त मामले आबंटित किए जा सकते हैं। पैनल में अधिवक्ताओं की अधिकतम संख्या 50-60 और न्यूनतम 5 होनी चाहिए।

iii. उच्चतम न्यायालय का पैनल लगभग 15 से 20 अधिवक्ताओं का होगा।

5. शुल्क का भुगतान और अन्य शर्ते

I. अधिवक्ताओं को देय शुल्क (परिशोधन आधीन) वही होगा जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिनांक 02.01.2017 और 01.05.2019 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या टी-11/12/2/2016-विधि के अनुसार पैनल अधिवक्ताओं और विधि अधिकारियों के लिए निर्धारित किया गया है।

II. किसी भी पैनल अधिवक्ता को केवल पैनल में शामिल होने मात्र से कोई प्रतिधारण शुल्क नहीं दिया जाएगा।

6. पैनल के लिए सामान्य प्रक्रिया

I. आवेदक अधिवक्ता को कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र/प्रारूप में ही आवेदन करना होगा। किसी अन्य प्रपत्र/प्रारूप पर विचार नहीं किया जाएगा।

II. आवश्यकता और प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर, कर्मचारी राज्य बीमा निगम उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार करने और उन्हें पैनल में शामिल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

III. केवल पात्रता मानदंडों को पूरा करने से आवेदक अधिवक्ता को चयन के लिए बुलाए जाने और चयनित होने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

IV. उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार करने और उनके चयन के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का निर्णय अंतिम होगा।

V. किसी भी तरह का पक्ष-प्रचार अयोग्यता मानी जाएगी। ऐसे आवेदकों की उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी।

VI. तिथि-समय, स्थान और पारस्परिक विचार-विमर्श का माध्यम सामान्यतः ईमेल या पत्र द्वारा सूचित किया जाएगा। असाधारण परिस्थितियों में एस.एम.एस. आदि का उपयोग संप्रेषण के अतिरिक्त माध्यम के रूप में किया जा सकता है।

VII. आवेदक अधिवक्ता को पारस्परिक विचार-विमर्श के समय मूल दस्तावेज लाने की आवश्यकता हो सकती है।

VIII. चयनित अधिवक्ताओं की सूची कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा www.esic.nic.in पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। पैनल में शामिल होने के लिए चयनित आवेदक अधिवक्ताओं को कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अलग से इलेक्ट्रॉनिक या लिखित सूचना जारी की जा सकती है।

7. अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

अधिवक्ताओं को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :

i. विधि डिग्री और अन्य अर्हकताओं की प्रति;

ii. बार काउंसिल द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति;

iii. बार एसोसिएशन द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रति;

iv. पहचान प्रमाण की प्रति;

v. अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड पंजीकरण की प्रति;

vi. उन 10 निर्णयों की प्रतियां जिनमें अधिवक्ता ने याचक के रूप में पेशी की हो;

vii. अधिवक्ता के पक्ष में अन्य प्राधिकारियों/संस्थाओं द्वारा जारी पैनल में शामिल होने के पत्रों की प्रतियां;

viii. संक्षिप्त अनुभव, पृष्ठभूमि, शिक्षा, मुवक्किलों की सूची और निपटाए गए मामलों की प्रकृति सहित बायोडाटा;

ix. वर्तमान की दो रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो;

x. पिछले दो वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रति।

8. चयन समिति

नामिकायन सदस्यों के चयन के लिए दो स्तरीय समिति होगी-

क. पहला, अधिवक्ताओं के दस्तावेज़ों, प्रोफाइल और कार्य-प्रदर्शन के आधार पर नए आवेदकों की संक्षिप्त सूची तैयार करना।

ख. दूसरी, संक्षिप्त सूची में शामिल आवेदकों से बातचीत करना/साक्षात्कार लेना और संक्षिप्त सूची में से अधिवक्ताओं का चयन करना।

9. क.रा.बी.निगम मुख्यालय में पैनल में शामिल करने के लिए गठित द्विस्तरीय समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

क. प्रथम स्तरीय समिति - **क.रा.बी.निगम द्वारा नामित तीन सदस्य** ।

ख. द्वितीय स्तरीय समिति - क.रा.बी.निगम द्वारा नामित दो उच्च अधिकारी और क.रा.बी.निगम के महानिदेशक की अनुमति से संबंधित क्षेत्र के तीन विशेष आमंत्रित व्यक्तियों को सह-सदस्य बनाया जाएगा।

ग. क.रा.बी.निगम के महानिदेशक द्वारा दोनों समितियों के सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा।

10. पैनल में शामिल अधिवक्ताओं के कर्तव्य

I. अधिवक्ता किसी भी पक्ष को सलाह नहीं देंगे या क.रा.बी.निगम के विरुद्ध कोई ऐसा मामला स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें वे स्वयं उपस्थित हुए हों या भविष्य में उपस्थित होने या सलाह देने के लिए बुलाए जाने की संभावना हो, और जिससे क.रा.बी.निगम के विरुद्ध मुकदमेबाजी की संभावना उत्पन्न हो सकती है।

II. न्यायालय में क.रा.बी.निगम की ओर से मामलों की पैरवी करने के लिए अधिवक्ता की समय पर उपस्थिति अनिवार्य है और न्यायालय में उनकी अनुपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।

III. क.रा.बी.निगम पैनल के अधिवक्ताओं को ईमेल के माध्यम से किसी मामले के सौंपे जाने की सूचना भेजता है। ईमेल प्राप्त होने के बाद, पैनल के अधिवक्ताओं का यह कर्तव्य है कि वे क.रा.बी.निगम के संबंधित कार्यालय से याचिका की संक्षिप्त प्रति और कार्यभार पत्र यथाशीघ्र प्राप्त करें।

IV. क.रा.बी.निगम अपनी पसंद के किसी भी अधिवक्ता को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है और पैनल में शामिल अधिवक्ता यह दावा नहीं कर सकते कि क.रा.बी.निगम के कानूनी मामले केवल उन्हें ही सौंपे जाएंगे।

V. किसी अधिवक्ता द्वारा बिना किसी उचित कारण (जैसे हितों के टकराव के आधार पर) किसी भी कार्य को अस्वीकार करने पर, पैनल की अवधि समाप्त होने से पहले ही, उन्हें तत्काल पैनल से हटाया जा सकता है।

VI. अधिवक्ताओं को क.रा.बी.निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित पैनल की शर्तों और नियमों को स्वीकार करना होगा।

VII. चल रहे मामलों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए, पैनल में शामिल अधिवक्ताओं को प्रत्येक सुनवाई की तारीख के बाद मामलों की स्थिति की रिपोर्ट देनी होगी। स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता पैनल से नाम हटाने का आधार होगी।

VIII. ऐसे मामलों में जहां भारत संघ और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुरोध पर उनका भी प्रतिनिधित्व करना आवश्यक हो, भारत संघ और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के हितों की रक्षा के लिए अधिवक्ता को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा।

IX. आवश्यकता पड़ने पर, क.रा.बी.निगम के पैनल में शामिल अधिवक्ता विभिन्न न्यायालयों के समक्ष विशिष्ट मामलों में नियुक्त विशेष या वरिष्ठ अधिवक्ता को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर, अधिवक्ताओं को दिल्ली के भीतर/बाहर विभिन्न कानूनी मंचों के समक्ष क.रा.बी.निगम के हितों की रक्षा के लिए मामले सौंपे जा सकते हैं।

X. पैनल में शामिल अधिवक्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि वे क.रा.बी.निगम को निर्दिष्ट मामलों में सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों, सुनवाई की तिथियों, न्यायालय के आदेश की तिथि पर उसके निर्णय की सूचना दें और आदेश/निर्णय की प्रति उपलब्ध कराएंगे।

XI. विभिन्न न्यायालयों के समक्ष उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए मामलों और उनके परिणामों के बारे में मासिक विवरण प्रस्तुत करेंगे।

XII. जब उनके द्वारा उपस्थित किसी मामले में निगम के विरुद्ध निर्णय आता है, तो संबंधित अधिवक्ता को ऐसे प्रतिकूल आदेश के कारणों और ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने की उपयुक्तता के संबंध में आदेश की तिथि से 5 कार्यदिवसों के भीतर विचारपूर्वक राय देनी होगी (कच्ची प्रति)।

11. निजी वकालत का अधिकार और प्रतिबंध

i. एक अधिवक्ता को निजी वकालत का अधिकार होगा, हालांकि यह क.रा.बी.निगम के पैनल में शामिल अधिवक्ता के रूप में उनके कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में बाधा नहीं डालना चाहिए या उसके विरुध नहीं होना चाहिए।

ii. पैनल में शामिल होने के दौरान एक अधिवक्ता किसी भी पक्ष को सलाह नहीं देगा और न ही क.रा.बी.निगम के विरुद्ध कोई मामला स्वीकार करेगा।

12. पैनल में शामिल होने का रद्द होना

निम्नलिखित में से किसी भी कारण से किसी अधिवक्ता का पैनल में शामिल होना रद्द किया जा सकता है :

I. पैनल में शामिल होने के आवेदन में झूठी जानकारी देना;

II. बिना किसी पर्याप्त कारण और/या पूर्व सूचना के मामले की सुनवाई में उपस्थित न होना;

III. क.रा.बी.निगम के निर्देशों का पालन न करना या विशिष्ट निर्देशों का उल्लंघन करना;

IV. क.रा.बी.निगम के किसी भी कर्मचारी, अधिकारी या प्रतिनिधि को धमकाना, डराना या अपशब्द कहना;

V. क.रा.बी.निगम के मामले से संबंधित जानकारी विपक्षी पक्षों या उनके अधिवक्ताओं या किसी तीसरे पक्ष को देना जिससे क.रा.बी.निगम के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो;

VI. मामले की कार्यवाही से संबंधित क.रा.बी.निगम को झूठी या भ्रामक जानकारी देना;

VII. बार-बार स्थगन का अनुरोध करना या बिना पर्याप्त कारण के दूसरे पक्ष द्वारा किए गए स्थगन के अनुरोध पर आपत्ति न करना;

VIII. न्यायालय की कार्यवाही से बार-बार अनुपस्थित रहना, भले ही अधिवक्ता द्वारा "पास ओवर" या "प्रॉक्सी" प्राप्त कर लिया गया हो।

IX. क.रा.बी.निगम मुख्यालय द्वारा मूल्यांकन के अनुसार पैनल में शामिल अधिवक्ता का खराब प्रदर्शन।

इसके अतिरिक्त, क.रा.बी.निगम बिना कोई कारण बताए एक महीने के लिखित नोटिस पर किसी भी अधिवक्ता की पैनल सदस्यता समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अधिवक्ता भी एक महीने का नोटिस देकर पैनल सदस्यता समाप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है।

13. कठिनाई का निवारण

इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में, यदि कोई संदेह या कठिनाई उत्पन्न होती है, या इन दिशा-निर्देशों के किसी खंड की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो क.रा.बी.निगम का निर्णय अंतिम होगा।

14. किसी भी नियम एवं शर्तों में छूट

क.रा.बी.निगम के महानिदेशक को निर्धारित किसी भी नियम एवं शर्त में छूट देने का अधिकार होगा।